

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी - डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 6/2023

रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/6

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा

बनाम

अभियुक्त :-

श्री परेश जैन पुत्र श्री लक्ष्मीलाल जैन  
निवासी बाहुवली कॉलोनी, मार्ग नं.2  
आदिनाथ नगर, बांसवाड़ा  
(विक्रेता/मालिक) मैसर्स आदित्य फूड  
इण्डस्ट्रीज, 7 एस रोड नं. 1 रिको  
इण्डस्ट्रीयल एरिया, बांसवाड़ा

उपरिथत :-

खाद्य सुरक्षा अधिकारी

श्री परेश जैन

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 20-03-2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री शशीकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 17-01-2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 11-10-2022 को 01.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जांच हेतु मैसर्स आदित्य फूड इण्डस्ट्रीज, 7 एस रोड नं. 1 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री परेश जैन पुत्र श्री लक्ष्मीलाल जैन उपरिथत थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में रिफाइण्ड सोयबीन तेल 10 टन 01 टैंक में पैकिंग कर आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें गुणवत्ता की कमी/मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपरिथति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए आम जनता को विक्री हेतु रखे करीब रिफाइण्ड सोयबीन तेल 10 टन में से 2 लीटर तेल (खुला) वास्ते नमुना जांच हेतु खरीदा तथा इनकी 270 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान हस्ताक्षर कराये एवं तस्दीक की। नमुना जांच हेतु खरीदशुदा 2 लीटर रिफाइण्ड सोयबीन तेल (खुला) चार नमुना भाग एवं चार लेबल तैयार किये गये प्रत्येक नमुना कर विवरण

अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक-एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी बॉसवाडा से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक W 1210 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर चारो नमूना भाग को नियमानुसार सील बन्द किया। सील बंद नमूना पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिख कर स्वयं हस्ताक्षर कर चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया। उक्त चार नमूना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/388 दिनांक 17.11.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 842 दिनांक 21.10.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया रिफाइण्ड सोयबीन तेल (खुला) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Z.X) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 20-01-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 20-03-2023 को अभियुक्त श्री परेश जैन पुत्र श्री लक्ष्मीलाल जैन ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/388 दिनांक 17.11.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य

प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 842 दिनांक 21.10.2022 अनुसार विक्रेता से वारते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया रिफाइण्ड सोयबीन तेल (खुला) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डड होना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किररी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया रिफाइण्ड सोयबीन तेल (खुला) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री परेश जैन पुत्र श्री लक्ष्मीलाल जैन निवासी बाहुबली कॉलोनी, मार्ग नं.2 आदिनाथ नगर, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स आदित्य फूड इण्डस्ट्रीज, 7 एस रोड नं. 1 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बांसवाडा को रूपये 40000/- (अक्षरे रु. चालीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय गद 0210-विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 20-03-2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।



( श्री दिनेश राय सापेला )  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति० जिला कलक्टर)  
बांसवाडा